

भारत गणराज्य की सरकार तथा बेलारूस गणराज्य की सरकार के बीच वर्ष 2018-2020 की अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा बेलारूस गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसके पश्चात 'दोनों पक्ष' कहा गया है,

भारत गणराज्य तथा बेलारूस गणराज्य के लोगों के बीच परस्पर समझ एवं मित्रता सुदृढ़ करने की इच्छा से प्रेरित होकर,

भारत गणराज्य तथा बेलारूस गणराज्य के बीच 14 मई, 1993 को सहयोग के सिद्धांतों और क्षेत्रों की घोषणा के आधार पर,

भारत गणराज्य की सरकार तथा बेलारूस गणराज्य की सरकार के बीच 14 मई, 1993 को सम्पन्न हुए संस्कृति, कला, शिक्षा, जन संचार माध्यम, खेल एवं पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग करार के दायरे में किए गए प्रावधानों के आधार पर,

निम्नलिखित पर सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में संस्कृति के क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों तथा अन्य महत्वपूर्ण समारोहों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

दोनों पक्ष, दोनों देशों, बेलारूस गणराज्य और भारत गणराज्य में संस्कृति के क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में संस्कृति के क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों की सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्ष, पारस्परिकता के आधार पर नाट्य रंगमंच की संस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने और रंगमंच महोत्सवों में भागीदारी द्वारा संगठनात्मक सहायता प्रदान करेंगे।

दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर दोनों देशों की रंगमंच पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे के देशों के रंगमंच का अध्ययन करने के लिए छात्रों का आदान-प्रदान प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 3

दोनों पक्ष, संग्रहालय विज्ञान, संदर्भ सामग्रियों में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के साथ-साथ संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों पर सूचना का आदान-प्रदान करते हुए बेलारूस गणराज्य और भारत गणराज्य में संग्रहालयों तथा वीथिकाओं के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

दोनों पक्ष, प्राचीन भारतीय कला, पुरातत्व विज्ञान तथा समकालीन कलाओं की प्रदर्शनियों सहित संग्रहालय प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रदर्शनियों से संबंधित शर्तों, तिथियों और स्थलों का निर्धारण मामला-दर-मामला आधार पर आयोजकों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 4

दोनों पक्ष, पुस्तकों, मुद्रित सामग्रियों और पुस्तकालयाध्यक्षों के आदान-प्रदान सहित दोनों देशों के पुस्तकालयों के बीच सीधे संबंध स्थापित करने में सहयोग करेंगे।

दोनों पक्ष, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करेंगे और पुस्तक प्रदर्शनियों, शिक्षण सामग्रियों तथा ग्रंथ सूची सामग्रियों के आदान-प्रदान में सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 5

दोनों पक्ष, चलचित्रकला के क्षेत्र में प्रत्यक्ष सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

दोनों पक्ष, अपने-अपने देशों में चलचित्रकला के क्षेत्र में संस्थाओं के बीच सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियों के सृजन को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 6

दोनों पक्ष, कला शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे तथा संस्कृति के क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे।

दोनों पक्ष, दोनों देशों में आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और महोत्सवों में कला शिक्षा से संबंधित अपनी-अपनी संस्थाओं के छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 7

दोनों पक्ष, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा और पुनर्स्थापन के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे तथा अपने अनुभवों को साझा करने के लिए विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 8

दोनों पक्ष, लोक साहित्य के क्षेत्र में सहयोग करेंगे तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान का अनुसमर्थन करेंगे।

दोनों पक्ष, अपने-अपने देश में आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लोक साहित्य महोत्सवों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे तथा इन कार्यक्रमों में प्रतिनिधियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 9

दोनों पक्ष, दोनों देशों में सांस्कृतिक दिवसों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाएंगे।

अनुच्छेद 10

दोनों पक्ष, अपने संबंधित संग्रहों की पुनः पूर्ति करने के उद्देश्य से भारतीय अभिलेखागार में बेलारूस के इतिहास तथा बेलारूस अभिलेखागार में भारत के इतिहास से जुड़ी सूचना एवं दस्तावेजों के साथ-साथ दोनों पक्ष के हित से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ (अंकीकृत प्रतियाँ) के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे। तत्संबंधी तौर-तरीके का निर्धारण दोनों पक्ष के बीच परस्पर परामर्श से किया जाएगा।

दोनों पक्ष, अभिलेखीय परिरक्षण हेतु संरक्षण सामग्री एवं तकनीकों के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा ऐसी सामग्री/तकनीकों को परस्पर आधार पर उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।

दोनों पक्ष, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन एवं अभिलेखों के संरक्षण, अभिलेखों के अंकीकरण एवं अंकीकृत परिरक्षण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

ऐसे दौरों के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से अग्रिम रूप से परस्पर आधार पर तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 11

दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर लेखकों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे। ऐसे दौरों के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से अग्रिम रूप से परस्पर आधार पर तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 12

इस कार्यक्रम से संबंधित कार्रवाइयों के कार्यान्वयन की विशिष्ट शर्तें (वित्तीय शर्तों सहित) दोनों देशों के हितपरायण पक्षों के बीच सीधे ही द्विपक्षीय परामर्शों के दायरे में परस्पर एवं समान आधार पर परिभाषित की जाएंगी।

अनुच्छेद 13

यह कार्यक्रम दोनों पक्षों की परस्पर सहमति द्वारा इस कार्यक्रम के प्रयोजनों के समरूपी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तथा संचालन की संभावनाओं को वर्जित नहीं करता है।

अनुच्छेद 14

यह कार्यक्रम राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 15

इस कार्यक्रम के उपबंधों की विवेचना या अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले किसी मतभेद या विवाद को दोनों पक्षों के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्वक निपटाया जाएगा।

अनुच्छेद 16

वर्तमान कार्यक्रम, दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और यह तीन वर्ष की अवधि के लिए या नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने तक वैध रहेगा।

इस कार्यक्रम पर 12 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में हिंदी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में विभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

पंकज सिंह

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से



बेलारूस गणराज्य की सरकार
की ओर से